कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,सवाई माधोपुर

(ए.डी.आर. सेन्टर, जिला न्यायालय परिसर)
(हेल्पलाईन नं.– 8306002138, दूरभाष :–07462–294301, ई–मेल : dlsa31sawaimadhopur@gmail.com)

क्रमांक:जि.वि.से.प्रा./सामुदायिक मध्यस्थ– विज्ञप्ति/2026/04 दिनांक: 26.05.2026

विज्ञप्ति

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक एफ–4(249)/रालसा/मध्यस्थता/नारी संवाद/2026/12218–12261 दिनांक 12.05.2026 के निर्देशानुसार **नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच** कार्यक्रम के क्रियान्यवन के संबंध में जिला सवाई माधोपुर में चयनित निम्न 05 ग्राम पंचायतों में प्रत्येक पर एक 15 सदस्यीय सामुदायिक मध्यस्थों के समूह का 01 वर्ष के लिए चयन किया जाना है। इस संबंध में योग्य व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है–

क.सं.	जिला/तालुका	ग्राम पंचायत
1	सवाई माधोपुर	खिलचीपुर
2	गंगापुर सिटी	महुकलाँ
3	बामनवास	पिपलाई
4	बौंली	बांस टोरड़ा
5	खण्डार	बहरांवण्डा खुर्द

(1) शैक्षणिक योग्यताः– अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिन्दी लिखने व पढने की अच्छी व व्यापक जानकारी व क्षमता होनी चाहिये।

(2) आवेदन पत्रः– अभ्यर्थी को आवेदन पत्र विज्ञप्ति में दिये गये प्रफोर्मा में प्रस्तुत करना होगा।

(3) परीक्षाः– आवेदकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से किया जायेगा तथा साक्षात्कार में सफल अभ्यर्थियों को मध्यस्थता का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

(4) चरित्रः– आवेदक द्वारा ऐसे दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के द्वारा प्रदत चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है जो आवेदक के संबंधी न हो। ऐसे चरित्र प्रमाण पत्र छः माह की अवधि से अधिक पुराने नही होने चाहियें।

(5) शारीरिक योग्यताः– आवेदक को मानसिक व शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ्य होना चाहिये तथा उसमें किसी प्रकार का शारीरिक दोष जो किसी सामान्य सेवाओं के परिपालन में बाधा डालता हो, नही होना चाहिये।

(6) आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रलेख प्रस्तुत किया जावें–

- जन्मतिथि प्रमाण पत्र हेतु सैकेण्डरी परीक्षा की अंकतालिका अथवा प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।
- समस्त शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रति।
- दो मूल चरित्र प्रमाण पत्र दिनांक सहित जो छः माह से अधिक पुराने नही होने चाहिये।
- आवेदन पत्र पर स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त पासपोर्ट साईज का नवीनतम फोटो लगा होना चाहिये।
- आधार कार्ड/राशन कार्ड की सत्यापित प्रति।

- आवेदक द्वारा जिस प्राधिकरण/तालुका विधिक सेवा समिति की ग्राम पंचायत के लिए आवेदन किया जा रहा है, उसमे निवासरत होने के सत्यापन हेतु आधार कार्ड/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/मूल निवास या अन्य कोई समकक्ष प्रमाण पत्र की स्व–प्रमाणित प्रति।
- किसी प्रकार का कोई मुकदमा लंबित नही होने का स्व–प्रमाणित शपथ–पत्र।

(7) आवेदन की अंतिम तिथिः– आवेदन पत्र जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं इस प्राधिकरण के अधीनस्थ संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति बामनवास, गंगापुर सिटी, बौंली एवं खण्डार के कार्यालय में दिनांक 10.06.2026 को दोपहर 02.00 बजे तक ही जमा किये जायेंगे। इस तिथि के पश्चात् प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नही किया जायेगा। अपूर्ण आवेदन पत्र अथवा वांछित प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियों अथवा आवश्यक प्रमाण पत्रों के संलग्न नही होने पर अथवा अन्य किसी प्रकार की कमी पाये जाने पर आवेदन पत्र निरस्त कर दिया जायेगा एवं उस पर कोई विचार नही किया जायेगा।

(8) पात्रताः– सामुदायिक मध्यस्थ का चयन करते समय यदि अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होते है तो उन्हें शॉर्ट लिस्टिंग कर साक्षात्कार के लिए बुलाया जा सकता हैं।

- संबंधित ग्राम या ग्राम पंचायत के निवासी निम्नलिखित श्रेणी की महिलाओं को पैनल में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है–

क) समुदाय में सम्मानित, निष्पक्ष एवं प्रतिष्ठित महिलाएं,
ख) स्थानीय महिलाएं जिनका समाज में महत्वपूर्ण योगदान है,
ग) क्षेत्रीय या स्थानीय कल्याण संघों की महिला प्रतिनिधि
घ) मध्यस्थता या विवाद समाधान में अनुभव रखने वाली महिलाएं, या

- सेवानिवृत शिक्षक, पंचायत सदस्य, सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी (महिला)
- निम्नांकित व्यक्तियों को सामुदायिक मध्यस्थ के चयन हेतु प्राथमिकता दी जावेगी–

– महिला सरपंच/पूर्व पंच, महिला स्व–सहायता समूहों की नेता लीडर्स, आंगनवाडी/आशा कार्यकर्ता, अनुभवी पी.एल.वी., महिला अधिवक्ता/शिक्षिकाएं, सेवानिवृत महिला सरकारी अधिकारी तथा महिला पुलिसकर्मी विशेषकर समुदाय/आउटरीच से जुडी हुई महिलाऐं।

(9) साक्षात्कारः– सवाई माधोपुर न्यायक्षेत्र हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में से योग्य अभ्यर्थियों को सामुदायिक मध्यस्थों के साक्षात्कार की तिथि व स्थान एवं अन्य आदेशों, कर्तव्यों, नियमों की सूचना साक्षात्कार हेतु चयनित अभ्यर्थियों की सूची सहित जिला प्राधिकरण एवं संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति के नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध करवाई जायेगी। पृथक से किसी भी अभ्यर्थी को सूचना नही भेजी जावेगी। साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने वाले अभ्यर्थियों को किसी प्रकार का भुगतान देय नही होगा।

(10) स्पष्टीकरणः– यहॉ यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को अपने आवेदन पत्र में प्रशिक्षण प्राप्त सामुदायिक मध्यस्थ को माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के निर्देशानुसार ही मानदेय दिया जा सकता है, इसके अलावा अन्य किसी प्रकार का कोई वेतन, पारिश्रमिक या पैकेज नही दिया जायेगा।

नोटः– 01 आवेदन प्रारूप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर, तालुका विधिक सेवा समिति बौंली, गंगापुर सिटी, खण्डार एवं बामनवास कार्यालय से प्राप्त करने के साथ ही इस

न्यायक्षेत्र की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/sawaimadhopur से भी डाउनलोड कर सकते है।

02. आवेदनकर्ता संलग्न निर्धारित प्रारूप में आवेदन मय आवश्यक दस्तावेज पूर्ण कर जिला प्राधिकरण अथवा संबंधित तालुका विधिक सेवा समिति बौंली, गंगापुर सिटी, बामनवास एवं खण्डार के कार्यालय में प्रस्तुत करेंगे।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

कमांकः वि.से./2026/1574-1590 दिनांकः 26.05.2026

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर
2. श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायाधीश, सवाई माधोपुर
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, सवाई माधोपुर
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् सवाई माधोपुर को प्रेषित कर लेख है कि **"नारी संवादः सामुदायिक समाधान मंच"** कार्यक्रम के सफल क्रियान्यवन हेतु सवाई माधोपुर की चयनित उक्त 05 ग्राम पंचायतों के माध्यम से विज्ञप्ति का प्रचार–प्रसार करवाकर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करवाने में सहयोग प्रदान करें।
5. विकास अधिकारी, पंचायत समिति सवाई माधोपुर/गंगापुर सिटी/खण्डार/बौंली/बामनवास को संबंधित ग्राम पंचायत के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करवाकर अधिकाधिक पात्र व्यक्तियों से आवेदन पत्र आमंत्रित करवाने हेतु प्रेषित है।
6. जिला पुलिस अधीक्षक सवाई माधोपुर
7. सिस्टम ऑफिसर, जिला एवं सेशन न्यायालय सवाई माधोपुर (विज्ञप्ति मय प्रारूप न्यायालय की वेबसाईट https://districts.ecourts.gov.in/sawaimadhopur पर अपलोड करने बाबत्)
8. नोटिस बोर्ड, जिला एवं सेशन न्यायालय, सवाई माधोपुर
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सवाई माधोपुर
10. नोटिस बोर्ड तालुका विधिक सेवा समिति बौंली/गंगापुर सिटी/बामनवास/खण्डार
11. रक्षित पत्रावली

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण
(अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
सवाई माधोपुर

सामुदायिक मध्यस्थ के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप

1.	नाम आवेदक	:		आवेदक का हस्ताक्षरयुक्त नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो
2.	पिता/पति का नाम	:		
3.	विवाहित/अविवाहित	:		
4.	जाति	:		
5.	संवर्ग–सामान्य/अजा/अजजा/अपिवर्ग (जिस संवर्ग से संबंधित हो वो लिखें)	:		
6.	स्थायी पता मय दूरभाष/मोबाईल नंबर/ई–मेल आई.डी.	:		
7.	वर्तमान पता	:		
8.	स्थानीय पंचायत समिति का नाम	:		
9	निकटतम पुलिस स्टेशन	:		
10	जन्म तिथि (अंको में)	:		
11	वर्तमान आयु	:		
12	आवेदक सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में जिस ग्राम पंचायत में स्वेच्छा से कार्य करना चाहता है, उस ग्राम पंचायत का नाम	:		
13	यदि आवेदक सेवानिवृत कर्मचारी है तो किस पद से सेवानिवृत हुए तथा सेवानिवृति की तिथि	:		
14	आवेदक के विरूद्ध कोई फौजदारी प्रकरण लंबित है अथवा नही, यदि है तो पूर्ण विवरण	:		
15	यदि आवेदक ने पूर्व में किसी संस्था के साथ कार्य किया है तो उसका संक्षिप्त विवरण दें। (हां/नहीं)			

16	ऐसे व्यक्ति जो सामाजिक कार्यकर्ता/अन्य के रूप में कार्य करते है, उसका विवरण अंकित करें।		
17	कम्प्यूटर ज्ञान (हां/नहीं)		

(आवेदक के हस्ताक्षर मय दिनांक)

मैं.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री..... निवासी.....सत्यापित करता/करती हूँ कि आवेदन पत्र में अंकित सभी तथ्य मेरी निजी जानकारी में सत्य है तथा मैं.....ग्राम पंचायत.....में सामुदायिक मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए इच्छुक हूं।

दिनांकः

(आवेदक के हस्ताक्षर)

शपथ पत्र

शपथ पत्र मिन जानिबः.....पुत्र/पुत्री/पत्नि श्री.....

जाति.....उम्र.....पेशा.....निवासी.....

.....तहसील.....जिला.....

राजस्थान।

1. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरे खिलाफ किसी भी थाने अथवा न्यायालय में किसी भी प्रकार का कोई मुकदमा विचाराधीन नही है।

2. मैं शपथपूर्वक बयान करता/करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र का मद संख्या 01 मेरे निजी ज्ञान व विश्वास के अनुसार बिल्कुल सही है। ईश्वर मेरा साक्षी है।

दिनांकः

स्थानः

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता